

**PROGRAMME OF CULTURAL EXCHANGES
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE CO-OPERATIVE REPUBLIC OF GUYANA
FOR 2007, 2008, and 2009**

The Government of the Republic of India hereinafter called the first party, and the Government of the Co-operative Republic of Guyana, hereinafter called the second party;

Desirous of strengthening and developing friendly relations and co-operation between the two countries and their peoples;

Inspired by their common desire to broaden their relations in the cultural field;

Pursuant to the Cultural Agreement concluded at Georgetown on 30th December 1974, between the Government of the Republic of India and the Government of the Co-operative Republic of Guyana;

Have agreed on the following Cultural Exchange Programme for the period 2007 – 2009:

I. ART AND CULTURE

Article 1

The Indian Culture Centre (Guyana) and the Ministry of Culture, Youth and Sport of Guyana will cooperate, inter alia, through the sharing of resource personnel and information.

Article 2

The Indian Party will host a Cultural Troupe from India to visit and perform in Guyana once during the validity of this Programme.

- While selecting performers for the Cultural Troupe, special representation may be given to those regions in India from where cultural performances may be of special interest in Guyana.
- The groups will be performing the traditional folk dances, music, songs etc. that are still practiced in Guyana.

Article 3

Both Parties will exchange one Archivist each for a period of two weeks to exchange views and to locate material of each others interest available in respective archives for mutual exchange of copies of such records, subject to rules and regulations.

Article 4

The National Archives of India will provide training facilities in Archives Administration / Records Management / Conservation of Records to officials from Guyana in the School of Archival Studies. Details will be settled mutually through diplomatic channels.

Article 5

The Government of Guyana through the National Art Gallery will take an art Exhibition to India and in return will receive an exhibition from India. All costs for taking the exhibitions to the respective countries, preparation of brochures and other relevant material will be born by the country of origin. Details of in-country expenses will be worked out at a later date.

II. MISCELLANEOUS

Article 6

Both Parties will undertake annual reviews of the progress of implementation of the provisions of the above cultural exchange programme. The reviews will be undertaken by local working groups consisting of a representative of the High Commission and representative of the nodal Ministries / Departments.

Article 7

This programme does not exclude the implementation of any cooperation in the fields of art and Culture, youth affairs and sports, mass media etc. which may not be specifically included in this programme. Such activities may be finalized by mutual consultations through usual diplomatic channels.

Article 8

The general and financial provisions in respect of the exchange of artists, individuals / delegations and the exchange of the exhibitions will be worked out by mutual consultations through the usual diplomatic channels.

Article 9


Either party shall be able to revoke, whether in whole or in part, this Programme through a written communication to the other side. The revocation shall come into force six months after its communication. However, any ongoing programmes of cooperation shall continue until their completion.

Article 10


This programme shall come into force on the date of its signing and shall be valid up to the 31st December 2009.

Done in Georgetown on the Seventh day of November 2006 in four originals, two each in Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of doubt the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA


(Avinash C. Gupta)
High Commissioner of India
High Commission of India
Georgetown, Guyana

FOR THE GOVERNMENT OF THE
CO-OPERATIVE REPUBLIC OF GUYANA


(Frank C. S. Anthony)
Minister of Culture Youth and Sports
Government of the Co-operative
Republic of Guyana

भारत गणराज्य की सरकार
और
गयाना सहकारी गणराज्य की सरकार
के बीच
2007, 2008 और 2009 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

भारत गणराज्य की सरकार, जिसे इसमें इसके बाद 'पहला पक्ष' कहा गया है, और गयाना सहकारी गणराज्य की सरकार, जिसे इसमें इसके बाद 'दूसरा पक्ष' कहा गया है।

दोनों देशों और अपने लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग का संवर्धन तथा विकास करने की इच्छा से ;

सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने संबंधों को विस्तार देने की समान इच्छा से प्रेरित होकर;

भारत गणराज्य की सरकार और गयाना सहकारी गणराज्य की सरकार के 30 दिसंबर, 1974 को जार्जटाउन में संपन्न सांस्कृतिक करार के अनुसरण में ;

2007-09 की अवधि के लिए निम्नलिखित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर सहमत हुई हैं :

I कला एवं संस्कृति

अनुच्छेद - एक

भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (गयाना) और गयाना का संस्कृति, युवा एवं खेल मंत्रालय, अन्य बातों के साथ-साथ, ज्ञान-साधन कार्मिकों एवं सूचना की भागीदारी के जरिए सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद -दो

इस कार्यक्रम की वैधता अवधि के दौरान एक बार भारतीय पक्ष भारत से गयाना की यात्रा और वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सांस्कृतिक मंडली की मेजबानी करेगा।

- भारत से सांस्कृतिक मंडली के लिए प्रस्तुतकर्ताओं का चयन करते समय भारत के उन क्षेत्रों का विशेष प्रतिनिधित्व होगा जहां की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में गयाना की विशेष रूचि होगी।

- ये मंडलियां वे पारस्परिक लोक नृत्य, संगीत, गीत प्रस्तुत करेंगी जो गयाना में आज भी प्रचलित हैं ।

अनुच्छेद - तीन

दोनों पक्ष दो सप्ताह की अवधि के लिए एक-दूसरे के साथ एक पुरालेखपाल का आदान-प्रदान करेंगे ताकि अपने-अपने अभिलेखागारों में एक-दूसरे की रूचि की उपलब्ध सामग्री को खोजकर नियमों और विनियमों की सीमा में रहते हुए ऐसे अभिलेखों की प्रतियों का परस्पर आदान-प्रदान कर सकें ।

अनुच्छेद - चार

भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार गयाना के अधिकारियों को स्कूल ऑफ आर्काइवल स्टडीज में अभिलेखागार प्रशासन/रिकार्ड प्रबंधन/ रिकार्ड संरक्षण में प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसके विवरण राजनयिक माध्यमों से पारस्परिक तौर पर तय किए जाएंगे ।

अनुच्छेद - पांच

गयाना की सरकार राष्ट्रीय कला दीर्घा के जरिए एक कला प्रदर्शनी भारत भेजेगी और बदले में भारत से एक कला प्रदर्शनी गयाना जाएगी। प्रदर्शनी को संबंधित देशों में ले जाने, ब्रोशर और अन्य संबद्ध सामग्री की तैयारी पर आने वाला खर्च प्रदर्शनी के मूल देश द्वारा वहन किया जाएगा। देश में होने वाले व्यय का ब्यौरा बाद में तैयार किया जाएगा।

II विविध

अनुच्छेद- छह

दोनों पक्ष उपर्युक्त सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में सन्निहित प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रगति की वार्षिक समीक्षा करेंगे । यह समीक्षा स्थानीय कार्यदलों द्वारा की जाएगी जिनमें उच्चायोग का प्रतिनिधि तथा नोडल मंत्रालयों /विभागों का प्रतिनिधि शामिल होगा ।

अनुच्छेद - सात

कला एवं संस्कृति, युवा -कार्य तथा खेलकूद, मास मीडिया इत्यादि के क्षेत्रों में ऐसे किसी सहयोग का क्रियान्वयन इस कार्यक्रम से बाहर नहीं होगा जिसे इस कार्यक्रम में विशिष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है । ऐसे क्रिया-कलाप प्रायः राजनयिक माध्यमों द्वारा पारस्परिक परामर्शों द्वारा तय किए जाएंगे ।

अनुच्छेद - आठ

कलाकारों, व्यक्तियों / शिष्टमंडलों और प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान के संबंध में सामान्य एवं वित्तीय प्रावधान प्रायः राजनयिक माध्यमों के जरिए परस्पर परामर्शों द्वारा तय किए जाएंगे।

अनुच्छेद - नौ


दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित सूचना देकर इस कार्यक्रम को पूर्णतः अथवा अंशतः निरस्त कर सकता है। निरस्तीकरण सूचना देने के छह माह के बाद प्रभावी होगा। तथापि, सहयोग के जारी कार्यक्रम पूर्ण होने तक चलते रहेंगे।

अनुच्छेद - दस

यह कार्यक्रम इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होगा और 31 दिसंबर 2009 तक वैध रहेगा।

.....जार्जटाउन.....में 2006 के नवम्बर माह के सत्र वें दिन हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में संपन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से


(अविनाश चंद्र गुप्ता)
भारत का उच्चायुक्त
जार्जटाउन, गयाना

गयाना सहकारी गणराज्य
की सरकारी की ओर से



(फ्रैंक एन्थोनी)
संस्कृति, युवा एवं
खेलकूद मंत्री